

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-34 / 2023

पटना, दिनांक—

श्री गुंजन कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 04.06.2026 से 29.06.2026 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री गुंजन कुमार के अवकाश लेखा में (155-26=129) (एक सौ उनत्तीस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-34 / 2023 **2008** / पटना, दिनांक— **03/06/26**

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना-800015 / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद / राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमण्डल, गयाजी / अंचल प्रभारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद / नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री गुंजन कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त(63वीं बैच), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।